



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

29 ज्येष्ठ 1942 (श0)
(सं0 पटना 361) पटना, शुक्रवार, 19 जून 2020

सं01/नि०वि०स्था०-72/2019-878
निगरानी विभाग

संकल्प

5 मार्च 2020

विषय :- भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति तथा राज्य सरकार की राशि के दुर्विनियोग, गबन राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में भ्रष्टाचार की सूचना देने वाले एवं भ्रष्टाचार मिटाने के लिए घूसखोरों को पकड़वाने वाले व्यक्ति को इनाम/पुरस्कार दिये जाने के संबंध में।

राज्य सरकार भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने के लिये कृत संकल्प है। ऐसे सभी उपाय किये जा रहे हैं, जिससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सके। राज्य सरकार यह भी चाहती है कि राज्य के अधीन चलाई जा रही योजनाओं में पारदर्शिता रहे, उनकी गुणवत्ता विशिष्टियों के अनुरूप रहे तथा इनके कार्यान्वयन में बरती जाने वाली अनियमितताओं पर कारगर ढंग से रोक लगायी जा सके।

2. आये दिन सरकार के समक्ष लोक सेवकों के द्वारा भ्रष्ट आचरण से अर्जित की गयी सम्पत्ति की शिकायतें मिलती रहती है। इस प्रकार की अवैध सम्पत्ति/धन सरकारी योजनाओं में लाभुकों को मिलने वाले लाभ में अवैध कटौती करके, कई मामलों में सरकार से मिलने वाले लाभ से लाभुकों को वंचित करके, सरकारी राशि के दुर्विनियोग, गबन एवं घपलों के माध्यम से अर्जित की जाती है। लोक सेवकों का इस प्रकार का कृत्य सरकार के लिए चिंता का विषय है। यह भी ज्ञात हुआ है कि आम-जन जो लोक सेवकों के विरुद्ध ऐसी सूचना देते हैं, उन्हें लालच देकर भ्रष्ट लोक सेवकों के द्वारा अपने पक्ष में शपथ-पत्र आदि दिलाकर मामले को रफा-दफा करने का प्रयास किया जाता है। फलतः मामले विधिक जटिलताओं में उलझ जाते हैं एवं ऐसे लोक सेवकों के विरुद्ध सरकार कारगर कार्रवाई नहीं कर पाती है।

3. उपर्युक्त परिवेश में राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि लोक सेवकों के विरुद्ध परिवाद देने वाले इस प्रकार के परिवादी/सूचक जनहित में सरकार को मदद देने के लिए सदैव तत्पर रहे एवं ऐसे सूचकों का सहयोग सरकार को उक्त आरोपी के विरुद्ध अभियोजन की कार्रवाई सिद्ध होने तक प्राप्त होता रहे। निगरानी विभाग ने इस निमित्त भ्रष्टाचार की सूचना देने वाले व्यक्तियों को पुरस्कृत करने की योजना बनायी है। इस प्रकार के पुरस्कार प्रदान करने हेतु निगरानी विभाग के अधीन दो तरह के कोष सृजित किये जायेंगे। पहला कोष गुप्त सेवा कोष के नाम से जाना जायेगा जो लोक सेवकों के द्वारा भ्रष्ट आचरण से अवैध सम्पत्ति अर्जित करने के मामले में सूचना देने वाले को प्रदान किया जायेगा। दूसरा "पुरस्कार कोष" के नाम से जाना जायेगा। इस प्रकार के पुरस्कार वैसे सूचकों को दिये

जायेंगे जो राज्य सरकार की राशि के दुर्विनियोग, गबन आदि की सूचना देकर सरकार को जनहित में चलायी जाने वाली योजनाओं में बरती जाने वाली अनियमितताओं पर नियंत्रण रखने में मदद करेगी। निगरानी विभाग के अन्तर्गत इस निमित्त बनायी गयी पुरस्कार योजना निम्न प्रकार है :-

- (क) पुलिस की कार्य प्रणाली की तरह निगरानी विभाग में भी सूचक/स्रोत रखने की व्यवस्था विकसित की जायेगी। ऐसे सूचक जो भ्रष्ट लोक सेवकों के विषय में उनकी आय के ज्ञात स्रोत से अधिक सम्पत्ति रखने, आलीशान मकान बनवाने अथवा खरीदने अथवा उनके भ्रष्ट आचरण तौर-तरीकों के संबंध में जानकारी निगरानी विभाग को देते हैं तथा प्राप्त जानकारी के आलोक में जाँचोपरान्त अगर मामला सही पाया जाता है तथा वैसे लोक सेवकों के विरुद्ध जाँच के आधार पर मामला दर्ज किया जाता है और अनुसंधान के उपरान्त उसमें आरोप-पत्र दाखिल किया जाता है तो ऐसे सूचक को प्रोत्साहन स्वरूप निगरानी विभाग द्वारा न्यूनतम 1,000/- रु० एवं अधिकतम 50,000/- रुपये दिये जायेंगे। यह राशि विभाग में सृजित 'गुप्त सेवा कोष' से देय होगी। दोष सिद्ध न होने की स्थिति में भी आरोप-पत्र दायर करने के समय जो राशि पुरस्कार के रूप में दी जायेगी उसे वापस नहीं लिया जायेगा।
- (ख) जो आरोपकर्ता सरकारी राशि के गबन, दुर्विनियोग या घपले की जानकारी निगरानी विभाग को देता है एवं जाँचोपरान्त मामला सही पाया जाता है एवं उस संबंध में काण्ड अंकित होता है एवं अनुसंधानोपरान्त मामले में अपराधियों के विरुद्ध आरोप-पत्र दायर होता है तो निगरानी विभाग वैसे सटीक आरोपकर्ता को पुरस्कृत करेगा। यह पुरस्कार की राशि न्यूनतम 1,000/- रु० एवं अधिकतम 50,000/- रुपये तक सीमित होगी। यह राशि विभाग में सृजित पुरस्कार कोष से देय होगी। ऐसे गबन, दुर्विनियोग या घपले से संबंधित आरोप-पत्र पर जब न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध हो जायेगा तब सरकार को इस उद्भेदन के फलस्वरूप अतिरिक्त प्राप्त होने वाली राशि/बचत होने वाली राशि का अधिकतम दो प्रतिशत तक की राशि सूचक को निगरानी विभाग द्वारा पुरस्कार कोष से दी जायेगी जिसमें पहले दी गयी राशि समायोजित कर ली जायेगी। परन्तु यह राशि अधिकतम 5,00,000/- (पाँच लाख) रुपये ही होगी। दोष सिद्ध न होने की स्थिति में भी आरोप-पत्र दायर करने के समय जो राशि पुरस्कार के रूप में दी जायेगी, उसे वापस नहीं लिया जायेगा।
- (ग) अप्रत्यापनुपातिक धनार्जन के तहत सफल ढंग से अनुसंधान संचालित करने वाले अनुसंधानकर्ताओं/लोक अभियोजकों को भी समुचित रूप से पुरस्कृत किया जायेगा। पुरस्कार की राशि का निर्णय महानिदेशक/अपर महानिदेशक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा प्रधान सचिव, निगरानी विभाग के अनुमोदन से लिया जायेगा।
- (घ) विशेष न्यायालयों में चल रहे मुकदमों के अंतिम निष्पादन में एक संतोषप्रद उपलब्धि हासिल हो इस हेतु गैर सरकारी गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित बनाये रखने के लिए गवाहों को उनके गृह स्थान से न्यायालय तक आने-जाने का वास्तविक बस भाड़ा/रेल भाड़ा (द्वितीय श्रेणी शयनयान) का भुगतान पी०एन०आर०सं० देने अथवा टिकट की छाया प्रति देने पर किया जायेगा। इसके अतिरिक्त उनके खाने-पीने एवं आवासन के लिये 200/- रु० (दो सौ रुपये) मात्र प्रतिदिन की दर से राशि न्यूनतम दो दिनों के लिए दी जायेगी। इसका भुगतान विभाग के बजट शीर्ष के अन्तर्गत विशेष सेवा के अदायगियों के लिए प्रावधानित राशि से किया जायेगा।
- (ङ) अभी वर्तमान में गुप्त सेवा ईकाई में प्रावधानित राशि का जिस प्रकार उपयोग किया जाता है वही प्रक्रिया इस कोष के संचालन में भी अपनायी जायेगी।
- (च) उपर्युक्त परियोजनाओं के लिए गुप्त सेवा कोष का विकलन बजट शीर्ष-2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ-सतर्कता-0002-मंत्रिमंडल (सतर्कता) विभाग की गुप्त सेवा ईकाई से होगा। पुरस्कार कोष का विकलन उक्त शीर्ष के अन्तर्गत व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए अदायगियाँ ईकाई से विकलित होगा। आवश्यकतानुसार राशि का उप आवंटन निगरानी विभाग द्वारा मांग के अनुरूप विभाग की विभिन्न ईकाईयों को किया जायेगा। विभिन्न जिलों को भी मांग के अनुरूप राशि विभाग द्वारा जिला पदाधिकारियों को उपलब्ध करायी जायेगी। गुप्त सेवा कोष का उपयोग कंडिका-3 के उप कंडिका-'क' में वर्णित मद के लिए किया जायेगा। पुरस्कार राशि का उपयोग कंडिका-'ख', 'ग' एवं 'घ' के मदों के लिए किया जायेगा।
- (छ) पुरस्कार कोष की राशि के लिए कार्यालय प्रधान द्वारा अनुषंगी पंजी (Subsidiary Register) रखी जायेगी। प्रत्येक वर्ष इस मद के अन्तर्गत प्राप्त राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रधान सचिव, निगरानी विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

- (ज) गुप्त सेवा कोष से सूचकों को दी जाने वाली पुरस्कार राशि का अंकेक्षण नहीं किया जायेगा।
- (झ) किसी सरकारी सेवक द्वारा जो परिवाद या केस दायर किये जायेंगे उन्हें इस योजना के तहत कोई पुरस्कार की राशि प्रदान नहीं की जायेगी।
- (ट) 25000/- रु० (पच्चीस हजार रुपये) तक के पुरस्कार एवं अन्य भुगतान का अनुमोदन अपर महानिदेशक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा एवं उससे उपर 50,000/- रु० (पचास हजार रुपये) तक के सभी मामलों में राशि का भुगतान निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के अपर महानिदेशक के प्रस्ताव पर प्रधान सचिव, निगरानी विभाग के अनुमोदन से किया जायेगा।
4. (क) घूसखोरों को पकड़वाने वाले परिवादकर्ता को उन्हें ट्रैप की राशि वापस करने के साथ-साथ पुरस्कार स्वरूप न्यूनतम ₹ 1,000/- एवं अधिकतम ₹ 10,000/- तक दिया जा सकता है।
- (ख) उक्त राशि का भुगतान शिकायतकर्ता को विभाग में पूर्व से सृजित मांग संख्या-07 मुख्यशीर्ष 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ-उपमुख्य शीर्ष-00 लघु शीर्ष-104-सतर्कता- उपशीर्ष-0010-घूस की राशि प्रतिपूर्ति विपत्र कोड-07-2070- 00-104-0010 अन्तर्गत विस्तृत एवं विषयशीर्ष 05 01- पुरस्कार मद में उपबंधित राशि से किया जाएगा।
5. यह भी निर्णय लिया गया है कि इस योजना के कार्यान्वयन में उत्पन्न होने वाली बाधाओं के निराकरण के लिए निगरानी विभाग द्वारा अनुपूरक अनुदेश जारी किया जायेगा।
6. निगरानी विभाग द्वारा पूर्व में संबंधित विषयक निर्गत संकल्प पत्रांक-6888 दिनांक 29.12.2008 को उपरोक्त हद तक संशोधित समझा जायेगा।
- आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को राजपत्र में प्रकाशित कराने के लिये भेज दी जाये। यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति महालेखाकार/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष को आवश्यक कार्रवाई के लिये अग्रसारित की जाये।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
आर० के० महाजन,
अपर मुख्य सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 361-571+50-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>